उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-4

संख्या- 10/2026/963/तीस-4-2026-30-4099(099)/113/2026

लखनऊः दिनांक 13 अक्टूबर, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारिवर्ग (समूह-ग) सेवा नियमावली, 2022 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारिवर्ग (समूह-ग) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026

<table>
<tr><td>संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ</td><td colspan="2">1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग, प्रवर्तन कर्मचारिवर्ग (समूह-ग) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2026 कही जायेगी।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।</td></tr>
<tr><td rowspan="3">नियम-5 का संशोधन

भर्ती का स्रोत</td><td colspan="2">2. उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग प्रवर्तन कर्मचारिवर्ग (समूह-'ग') सेवा नियमावली 2022, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है में, नियम 5 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-</td></tr>
<tr><td>स्तम्भ-1
विद्यमान उप नियम</td><td>स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम</td></tr>
<tr><td>5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-
(2) प्रवर्तन कांस्टेबल (1) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।</td><td>5- सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-
(2) प्रवर्तन कांस्टेबल (1) आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(2) प्रत्येक भर्ती वर्ष में अधिसूचित कुल रिक्तियों में से, 20 प्रतिशत पद पूर्व अग्निवीरों हेतु क्षैतिज (Horizontal) आधार पर आरक्षित किए जाएंगे, जैसा कि नियम-6 में विहित उपबन्धों एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा</td></tr>
</table>

		अधिकथित नीतियों के अनुसार अवधारित हो।
नियम-6 का संशोधन	3. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	
	स्तम्भ 01 विद्यमान नियम	स्तम्भ 02 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आरक्षण	6- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय-समय पर यथासंशोधित उक्त अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 तथा भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा। टिप्पणी-उपरोक्त पद विकलांग कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13.01.2011 के अनुसार आरक्षण हेतु चिन्हित नहीं किये गये हैं।	6- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, समय-समय पर यथासंशोधित अधिनियम और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के अनुसार होगा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 के अनुसार भी तथा भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा। टिप्पणी-उपरोक्त पद विकलांग कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-35/65-03-11-78/99, दिनांक 13.01.2011 के अनुसार आरक्षण हेतु चिन्हित नहीं किये गये हैं। <u>पूर्व अग्निवीरों हेतु आरक्षणः</u> (क) कुल अधिसूचित रिक्तियों में से 20 प्रतिशत पदों को पूर्व अग्निवीरों के लिए लागू आरक्षण नियमों के अनुसार, क्षैतिज (Horizontal) आधार पर आरक्षित किए जाएंगे। (ख) 'पूर्व अग्निवीर' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने भारतीय सशस्त्र बलों में अग्निपथ योजना के अधीन अपनी सेवा पूर्ण कर लिया हो और

http://shasanadesh.up.gov.in

		जिसे निर्मुक्त कर दिया गया हो, परन्तु वह नियमों के अनुसार पात्र हो। 'आवंटित पूर्व अग्निवीर' (भारत सरकार के पोर्टल के माध्यम से) से तात्पर्य ऐसे पूर्व अग्निवीर से है जिसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय या किसी सक्षम एजेन्सी/उसके द्वारा प्राधिकृत बैचवार आधार पर औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित किया गया हो। (ग) राज्य को पूर्व अग्निवीरों का आवंटन गृह मंत्रालय, भारत सरकार (अथवा उसकी प्राधिकृत एजेन्सी) द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा तथा ऐसा आवंटन राज्य के अधीन आरक्षण नियमों के द्वारा विहित अधिकतम वार्षिक सीमा के अध्यधीन होगा। (घ) पूर्व अग्निवीरों हेतु आरक्षित पद केवल ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा भरे जायेंगे जो उत्तर प्रदेश के अधिवासी हों। (ङ) यदि पूर्व अग्निवीरों हेतु आरक्षित पद किसी भर्ती-वर्ष में अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता या अनुपयुक्तता अथवा चिकित्सकीय परीक्षण उत्तीर्ण करने में असफलता के कारण रिक्त रह जाते हैं, तो ऐसे पदों को अग्रेषित नहीं किया जायेगा, किन्तु उन्हें सामान्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरा जायेगा ताकि श्रेणीवार कोटे में कोई असंतुलन न हो।
नियम-8 का संशोधन	4. उक्त नियमावली में, नियम 8 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान उप-नियम (1), (2) और (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-	
	स्तम्भ 01	स्तम्भ 02

http://shasanadesh.up.gov.in

शैक्षणिक व अन्य अर्हतायें	विद्यमान नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	8-(1) प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।	8-(1) प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से इन्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। टिप्पणी - शैक्षिक अर्हता- पूर्व अग्निवीरों हेतु थल सेना/नौसेना/वायु सेना द्वारा प्रदान की गयी कोई भी ऐसी शैक्षिक योग्यता, जो 10+2 के समकक्ष हो।
	8-(2) लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा, चयनकर्ता संस्था (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग) द्वारा संचालित की जायेगी। प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही चयन हेतु संस्तुत किया जायेगा।	8-(2) लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा, आयोग द्वारा संचालित की जायेगी। केवल प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही चयन हेतु संस्तुत किया जायेगा। परन्तु यह कि पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर प्रवीणता परीक्षा से छूट प्रदान की जायेगी।
	8- (3) शारीरिक मानक पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम् शारीरिक मानक निम्नवत हैं:- (क) ऊँचाई: (एक) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए। (दो) अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर होनी चाहिए। (ख) वक्षः (एक) अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये फुलाये बिना	8- (3) शारीरिक मानक पुरूष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम् शारीरिक मानक निम्नवत हैं:- (क) ऊँचाई: (एक) अनुसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर होनी चाहिए। (दो) अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर होनी चाहिए। (ख) वक्षः (एक) अनुसूचित जन जातियों के अभ्यर्थियों के लिये फुलाये बिना 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर अन्यून 82 सेंटीमीटर।

http://bharatdesh.up.gov.in

	77 सेंटीमीटर और फुलाने पर अन्यून 82 सेंटीमीटर। (दो) अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वक्ष की माप फुलाये बिना 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर अन्यून 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। **टिप्पणी** - न्यूनतम 5 सेंटीमीटर वक्ष फुलाव आवश्यक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:- (क) ऊँचाई: (एक) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यून ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर होनी चाहिए। (दो) अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर होनी चाहिए। (ख) वजन: महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 किलोग्राम।	(दो) अन्य अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वक्ष की माप फुलाये बिना 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर अन्यून 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। **टिप्पणी** - न्यूनतम 5 सेंटीमीटर वक्ष फुलाव आवश्यक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:- (क) ऊँचाई: (एक) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यून ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर होनी चाहिए। (दो) अन्य महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टीमीटर होनी चाहिए। (ख) वजन: महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम 40 किलोग्राम। परन्तु यह कि पूर्व अग्निवीरों को, इस उप-नियम के अधीन उनके सैन्य सेवा अभिलेखों और सेवा मुक्ति से पूर्व विहित शारीरिक मानकों के दृष्टिगत अलग से शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी) से छूट दी जायेगी।
नियम-10 का संशोधन	5. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 10 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-	
	स्तम्भ 01 विद्यमान नियम	स्तम्भ 02 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
आयु	10- प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमे सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायें, के प्रथम जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष	10- भर्ती वर्ष 2026-27 हेतु चयन वर्ष का प्रथम दिवस 01 जुलाई माना जायेगा, किन्तु आगामी चयन वर्षों में चयन वर्ष का प्रथम दिवस 01 जनवरी माना जायेगा। प्रवर्तन कांस्टेबल के पद पर सीधी भर्ती हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए यह

http://sashastrabalshiksha.gov.in

	से अधिक की आयु प्राप्त न की हो; परन्तु यह की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियो, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियो के मामले मे ऊपरी आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।	आवश्यक है कि वह उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमे सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जायें, के चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो। परन्तु यह की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियो, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, के अभ्यर्थियो के मामले मे ऊपरी आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय। परन्तु यह और कि पूर्व अग्निवीरों को 04 वर्ष की सेवा के पश्चात भूतपूर्व सैनिक की तरह अग्निवीर के रूप में की गयी सेवा अवधि को घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी अथवा ऐसी अन्य छूट जो भर्ती की अधिसूचना के समय प्रवृत्त शासनादेशों में यथा विनिर्दिष्ट की जाये।'
नियम-14 का संशोधन	6. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-	
रिक्तियों का अवधारण	स्तम्भ 01 विद्यमान नियम	स्तम्भ 02 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	14- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने	14- नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती वर्ष के प्रक्रम के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा। आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना उसे दी जायेगी।

http://shasanadesh.up.gov.in

	वाली रिक्तियों की सूचना उसे दी जायेगी।	टिप्पणी- (1) पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रिक्तियों का विवरण भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं राज्य सरकार के द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, किन्तु भर्ती में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार की सुसंगत नीति/नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। (2) यदि किसी पूर्व अग्निवीर के लिए आरक्षित रिक्ति भरे जाने से शेष रह जाती है तो ऐसी रिक्तियों को अग्रेषित न कर सामान्य चयन प्रक्रिया के माध्यम से भरा जायेगा।
नियम-15 का संशोधन	7. उक्त नियमावली में, नियम 15 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-	
आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती की प्रक्रिया	स्तम्भ 01 विद्यमान नियम	स्तम्भ 02 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
	15-(दो) सीधी भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, कांस्टेबलों की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा हेतु दौड़ः (क) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 27 मिनट में 4.8 कि0मी0 (किलोमीटर) (ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 मिनट में 2.4 कि0मी0 (किलोमीटर) नियत समय में दौड़ पूरा करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी असफल माने जायेंगे। टिप्पणी- उक्त परीक्षाएं आयोग द्वारा संचालित की जाएँगी।	15-(दो) सीधी भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा, कांस्टेबलों की सीधी भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा हेतु दौड़ः (क) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए 27 मिनट में 4.8 कि0मी0 (किलोमीटर) (ख) महिला अभ्यर्थियों के लिए 16 मिनट में 2.4 कि0मी0 (किलोमीटर) नियत समय में दौड़ पूरा करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी असफल माने जायेंगे। टिप्पणी- उक्त परीक्षाएं आयोग द्वारा संचालित की जाएँगी।

http://sansadesh.up.gov.in

		परन्तु यह कि पूर्व अग्निवीरों को, उनके सैन्य सेवा-अभिलेख के दृष्टिगत, इस उपनियम के अधीन पृथक शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) से छूट प्राप्त होगी।
नियम-20 का संशोधन	8. उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 20 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात्:-	
ज्येष्ठता	स्तम्भ 01 विद्यमान नियम	स्तम्भ 02 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	20- सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।	20- सेवा में किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी। परन्तु यह कि समान भर्ती वर्ष में चयनित होने वाले पूर्व अग्निवीरों को श्रेष्ठता-क्रम में सामान्य चयन के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के नीचे रखा जायेगा तथा पूर्व अग्निवीरों की परस्पर श्रेष्ठता क्रम सशस्त्र बलों द्वारा जारी उनके सेवा-प्रमाणपत्र, श्रेणीकरण एवं सेवा-अभिलेख के आधार पर अवधारित की जायेगी अथवा समय-समय पर राज्य सरकार की नीति के अनुसार अवधारित किया जाएगा;

आज्ञा से,

अमृत अभिजात
अपर मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.10/2026/963/XXX-4-2026-30-4099(099)/113/2026 dated, 13 October, 2026

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH
Transport Section-4

NOTIFICATION
Miscellaneous
No.10/2026/963/XXX-4-2026-30-4099(099)/113/2026
Dated Lucknow, 13 October, 2026

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Transport Department Enforcement Staff (Group-'C') Service Rules 2022:

UTTAR PRADESH TRANSPORT DEPARTMENT, ENFORCEMENT STAFF (GROUP-'C') SERVICE (FIRST AMENDMENT) RULES, 2026

<table>
<tr><td>Short title and commencement</td><td colspan="2">1. (1) These rules may be called "The Uttar Pradesh Transport Department Enforcement Staff (Group-C) Service first Amendment Rules, 2026 ",
(2) They shall come into force at once.</td></tr>
<tr><td>Amendment of rule 5</td><td colspan="2">2. In the Uttar Pradesh Transport Department Enforcement Staff (Group-'C') Service Rules 2022, hereinafter referred to as the said rules, in rule 5 for the existing sub-rule (2) set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-</td></tr>
<tr><td></td><td>COLUMN-1
Existing sub rule</td><td>COLUMN-2
Sub rule as hereby substituted</td></tr>
<tr><td>Source of recruitment</td><td>5. Recruitment to various categories of posts in the Service shall be made from the following sources:-
<table><tr><td>(2) Enforcement Constable</td><td>(1) By direct recruitment through the Commission.</td></tr></table></td><td>5. Recruitment to various categories of posts in the Service shall be made from the following sources:-
(2) Enforcement Constable
(1) By direct recruitment through the Commission.
(2) Out of the total vacancies notified in each recruitment year, 20 percent of the posts shall be reserved on a horizontal basis for ex-Agniveers, as determined in accordance with the provisions prescribed in Rule 6 and the policies laid down by</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.gov.in

		the State Government from time to time.
Amendment of rule 6	**3.** In the said rules, the existing rule 6 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-	
Reservation	**COLUMN-1** **Existing rule**	**COLUMN-2** **Rule hereby substituted**
	6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act and, the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment. Note- As per Government Order of Handicapped Welfare Department No. 35/65-03-11-78/99, Dated 13.01.2011 above posts are not identified for reservation.	6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the Act and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex. Servicemen) Act, 1993, and also in accordance with the Uttar Pradesh Public Services (Reservation For Economically Weaker Sections) Act, 2020, as amended from time to time, and the orders of the Government in force at the time of the recruitment. Note- As per Government Order of Handicapped Welfare Department No. 35/65-03-11-78/99, Dated 13.01.2011 above posts are not identified for reservation. Reservation for Ex-Agniveers: (a) Out of the total notified vacancies, 20 percent of the posts shall be reserved for Ex-Agniveers on a horizontal basis in accordance with applicable reservation rules. (b) 'Ex-Agniveer' refers to an individual who has completed their service under the Agnipath Scheme in the Indian Armed Forces and has been released, provided they are eligible as per the rules. 'Allocated Ex-Agniveer' (via the Government of India portal) refers to an Ex-Agniveer who has been formally allocated to the State of Uttar Pradesh on a batch-wise basis by the Ministry of Home Affairs, Government of India, or an agency competent/authorized by it.

http://shasanadesh.up.gov.in

		(c) The allocation of Ex-Agniveers to the State shall be carried out in accordance with the procedure prescribed by the Ministry of Home Affairs, Government of India (or its authorized agency), and such allocation shall be subject to the maximum annual limit prescribed by the State under reservation rules. (d) Posts reserved for Ex-Agniveers shall be filled exclusively by candidates who are domiciled of Uttar Pradesh. (e) If posts reserved for ex-Agniveers remain vacant in any recruitment year due to the non-availability or unsuitability of candidates, or failure to pass the medical examination, such posts shall not be carried forward but shall be filled through the general recruitment process, so as to avoid any imbalance in the category-wise quota**.**
Amendment of rule 8	**4.** In the said rules, in rule 8 for the existing sub-rule (1), (2) and (3) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-	
Academic and other qualifications	**COLUMN-1** **Existing rule**	**COLUMN-2** **Rule as hereby substituted**
	(1) A candidate For direct recruitment to the post of Enforcement Constable, a candidate must have passed the Intermediate Examination from the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, or an examination recognised by the Government as equivalent thereto.	(1) A candidate For direct recruitment to the post of Enforcement Constable, a candidate must have passed the Intermediate Examination from the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, or an examination recognised by the Government as equivalent thereto. Note – Educational Qualification – Any educational qualification provided by the Army/Navy/Air Force for ex-Agniveers, which is equivalent to 10+2.
	8 (2) Computer skill test of written test passed candidates will be conducted by the selection institution (Uttar Pradesh Subordinate Service Selection Commission). Only skill test passed candidates will be recommended for selection.	8(2) Computer skill test of written test passed candidates will be conducted by the Commission. Only skill test passed candidates will be recommended for selection. Provided that Ex-Agniveers shall be exempted from the written examination and computer skill test.

http://sansadsetu.gov.in

	8(3) Physical Standard Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:- (a) Height:- (i) For Scheduled Tribes male candidates minimum height should be 160 centimeter. (ii) For other candidates minimum height should be 168 centimeter. (b) Chest:- (i) For the Scheduled Tribes candidates 77 centimeters without expansion and not less than 82 centimeters on expansion. (ii) For other candidates minimum chest measurement should be 79 centimeters without expansion and not less than 84 centimeters on expansion Note:- Minimum 5 centimeter chest expansion is essential. Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:- (a)Height:- (i) For Scheduled Tribe female candidates minimum height should be 147 centimeter. (ii) For other female candidates minimum height should be 152 centimeter. (b) Weight: minimum 40 kg. for female candidates	8(3) Physical Standard Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:- (a) Height:- (i) For Scheduled Tribes male candidates minimum height should be 160 centimeter. (ii) For other candidates minimum height should be 168 centimeter. (b) Chest:- (i) For the Scheduled Tribes candidates 77 centimeters without expansion and not less than 82 centimeters on expansion. (ii) For other candidates minimum chest measurement should be 79 centimeters without expansion and not less than 84 centimeters on expansion Note:- Minimum 5 centimeter chest expansion is essential. Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:- (a)Height:- (i) For Scheduled Tribe female candidates minimum height should be 147 centimeter. (ii) For other female candidates minimum height should be 152 centimeter. (b) Weight: minimum 40 kg. for female candidates Provided that Ex-Agniveers shall be exempted from the separate Physical Standard Test (PST) under this sub-rule, in view of their military service records and the physical standards prescribed prior to their discharge from service.
Amendment of rule 10	**5.** In the said rules, the existing rule 10 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-	
	COLUMN-1 **Existing rule**	**COLUMN-2** **Rule as hereby substituted**
Age	10. A candidate for direct recruitment to the post of enforcement constable must have attained the age of 18 years and	10. For the recruitment year 2026-27, the first day of the selection year will be considered as 01 July, but in the subsequent selection years, the first day of

http://srlabanalysis.up.gov.in

	must not have attained the age of more than 25 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised; Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government for time to time shall be greater by such number of years as may be specified.	the selection year will be considered as 01 January. A candidate for direct recruitment to the post of enforcement constable must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 25 years on the first day of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised; Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be notified by the Government for time to time shall be greater by such number of years as may be specified. Provided further that after 04 years of service to Ex-Agniveers, relaxation of 03 years in the maximum age limit will be given by reducing the period of service rendered as Agniveer like Ex-serviceman or such other relaxation as may be specified in the Government Orders in force at the time of notification of recruitment.
Amendement of rule 14	**6.** In the said rules, the existing rule 14 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-	
Determination of Vacancies	**COLUMN-1** **Existing rule**	**COLUMN-2** **Rule hereby substituted**
	14-The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule 6. The vacancies to be filled through the commission shall be intimated to them.	14-The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies to be reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under Rule 6. The vacancies to be filled through the commission shall be intimated to them. **Note:** (1) Details of vacancies reserved for Ex-Agniveers shall be displayed in accordance with procedure prescribed by

http://srsanadesh.up.gov.in

		the Ministry of Home Affairs, Government of India and state Government. But the compliance of the relevant policy/rules of the State Government regarding reservation in recruitment will be ensured. (2) If a vacancy reserved for an ex-Agniveer remains unfilled, such vacancy shall not be carried forward but shall be filled through the general selection process.
Amendement of rule 15	**7.** In the said rules, in rule 15 for the existing sub-rule (2) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-	
Procedure for Direct Recruitment through the Commission	**COLUMN-1** **Existing rule**	**COLUMN-2** **Sub-rule as hereby substituted**
	15(2). Physical Efficiency Test for direct recruitment Run for the Physical Efficiency Test for direct recruitment of Constables: (a) For male candidates 4.8 km (kilometre) in 27 minutes. (b) For female candidates 2.4 km (kilometre) in 16 minutes. Those candidates who fail to complete the race within the stipulated time shall be treated unsuccessful. Note- Above Tests will be conducted by the commission.	15(2). Physical Efficiency Test for direct recruitment Run for the Physical Efficiency Test for direct recruitment of Constables: (a) For male candidates 4.8 km (kilometre) in 27 minutes. (b) For female candidates 2.4 km (kilometre) in 16 minutes. Those candidates who fail to complete the race within the stipulated time shall be treated unsuccessful. Note- Above Tests will be conducted by the commission. Provided that Ex-Agniveers shall be exempted from the separate Physical Efficiency Test (PET) under this sub-rule, in view of their military service records.
Amendment of rule 20	**8.** In the said rules, the existing rule 20 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be substituted, namely:-	
Seniority	**COLUMN-1** **Existing rule**	**COLUMN-2** **Rule hereby substituted**
	20- The seniority of persons substantively appointed to a post in any category of the Service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority	20- The seniority of persons substantively appointed in any category of posts in the Service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servants Seniority

http://upsssc.gov.in

	Rules, 1991, as amended from time to time.	Rules, 1991, as amended from time to time. Provided that the Ex-Agniveers selected in the same recruitment year shall be placed below the candidates selected through general selection in the order of merit and the inter-se merit of Ex-Agniveers shall be determined on the basis of their service certificate, grading and service record issued by the Armed Forces or as determined in accordance with the policy of the State Government from time to time.

By Order,

Amrit Abhijat
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-10/2026/963(1)/तीस-4-2026-30-4099(099)/113/2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 13 अक्टूबर, 2026 के असाधारण गजट के परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

के0पी0 सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या-10/2026/963(2)/तीस-4-2026-30-4099(099)/113/2026, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/कार्मिक/न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन), कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

दीपक माथुर
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in